

फर्द अहकाम

नियम 20

दालत -

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

मुकाम - खेरवाडा

श्री मणीलाल मीणा

बनाम

श्री लाला मीणा

मुकदमा

धारा - प्राथमिक पत्र 212 R.T. Act नं. 39 नियम 1, 2

14 / सत्र 2018

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

24-7-18

पत्रावली दर्ज मजिस्ट्रेट होकर पेश हुई। प्रतिवादीगणों का तलब हेतु सम्मन जारी किया जाकर, पत्रावली दिनांक 07-9-18 का पेश हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

7-9-18

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी उपस्थित हुए जिनके दस्तावेज कबली गयीं बावजूद कि वेक्टर द्वारा उपपुत्र मुख्यालय पर राजस्थान हाईकोर्ट बेंच की मांग से सम्बन्धित स्टाफ सामग्री दास कोर्ट के रूप में निर्णय अनुसार प्रत्येक माह की खास तारीख को किसी भी न्यायालय में न्यायिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेते हैं पत्रावली दिनांक 15-10-18 का पेश हो।

मणीलाल

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

15-10-18

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित हैं पत्रावली में वादी एवं वादी अधिवक्ता को तीन-तीन बार आवाज लगवाई गयी।

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहम
हुकम की तामील में

फिर भी उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली में आदेश 9
विषय 3 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में
थाद खारीज किया जाता है। निर्दिष्ट खुल न्यायालय
में सुनाया गया। पत्रावली के साथ शुमार 4
दर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड जजिस्ट्रेट
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

सुप्रीम

31-5-02

31-5-02

31-5-02